मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम /Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सी आई जी मार्ग/Panchdweep Bhawan, CIG Marg
नई दिल्ली/New Delhi - **110002**
वेब साईट/Website : www.esic.nic.in
ई-मेल/E-mail : dir-pnd@esic.nic.in
दूरभाष/Telephone - 011 23232373

No. N-15/14/03/PP/2020 - P&D

Dated: 23.10.2020

To,

The Additional Chief Secretary /Principal Secretary
to the Government of .....
.....

Sub: Phased programme for Implementation of ESI Scheme for year 2020-21.

Sir,

Kindly refer to Letter No.X-11/14/03/2017-P&D dated 14.10.2019 on the above cited subject wherein the district wise phased programme for the year 2019-20 was conveyed as per Vision – 2022. The targets for 2019-20 could not be achieved due to non-receipt of proposal from State Govt. Now, a new consolidated target for 2020-21 is enclosed which includes the pending districts not notified during the year 2019-20 in the target of notification.

The present status of notification is that the entire area of 387 Districts are fully notified, and in 188 districts, the Scheme is notified in the Districts Headquarters area or prominent Industrial centers. The Scheme is not-notified in 161 Districts.

It is also to inform that the Code on Social security, 2020 (Act 36 of 2020) has been notified. The effective date of implementation is also expected to be notified shortly. The code subsumes ESI Act, 1948 along with eight other central enactments in the field of Social Security. Once notified, the entire area of the country shall be implemented for the purposes of ESI Scheme. Therefore, it is imperative to make medical arrangement in all areas within this financial year itself.

The targets for the year 2020-21 is enclosed as Annexure -A with the request that necessary steps may be taken on priority basis for implementing the scheme in the districts shown in the Annexure.

The ESI Corporation bears the entire expenditure on medical care for an initial period of 3 years in case of implementation of the Scheme to new areas. The ceiling of expenditure on medical care per insured persons family unit per annum has also been further enhanced from Rs 2150 to Rs.3000 per IP per annum w.e.f. 2017-18. The Government has also decided to reduce the rate of ESI contribution payable from 6.5% of wages to 4% of wages which has become effective from 01.07.2019.

In view of the above, the State Govt. is requested to take steps to complete the medical arrangement in the districts for delivery of medical care to the Insured Persons and their family members so as to enable ESIC to take further action for issue of notification well in time for implementing the Scheme.

Encl : As above.

Yours faithfully,

(S. Ravichandran)
Additional Commissioner (P&D)

Copy forwarded to :-

1. All Director Medical Services/Administrative Medical Officer.....
2. The Regional Director, ESI Corporation,..... for pursuing the matter with the State Government for speeding up implementation of scheme as per phased programme. The matter may be discussed with the concerned Secretary/Director (M) to get implementation proposals expedited to Hqrs. Office. Regional Director may monitor personally the submission of medical benefit arrangement plan, estimates etc. both by the State Government and from the Regional Office itself as per targets fixed and discuss at the highest level so that the targets could be achieved. The phased programme and achievement of the targets may be discussed in the Regional Board & SEC Meetings. For the areas falling in the jurisdiction of Sub Regional Offices/Divisional Offices, Regional Director may ensure medical arrangement and Branch Office availability in the new area through the respective In-charge. DCBO has also been sanctioned for various districts which are to be run by ESIC directly. Opening of DCBO may be linked to phased programme of implementaiotn, especially in respect of those States where NOC for making medical arrangement has been given by the State Govt. to ESIC.
3. Acturial Br./F&A/Medical-1/Medical-II/Hindi Section for information.
4. DD(PR), ESIC Hqrs. Office with request for uploading on Hqrs. Website.
5. Rajbhasha, For Hindi Version.

23/7/19

Dy. Director (P&D)

मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम /Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सी आई जी मार्ग/Panchdweep Bhawan, CIG Marg
नई दिल्ली/New Delhi - 110002
वेब साईट/Website : www.esic.nic.in
ई-मेल/E-mail : dir-pnd@esic.nic.in
दूरभाष/Telephone - 011 23232373

संख्या : एन-15/14/03/पीपी/2020-यो. एवं वि. दिनांक : 23rd अक्टूबर, 2020

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव
.....सरकार
.....

विषय : वर्ष 2020-21 के लिए क. रा. बी. योजना के कार्यान्वयन के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर पत्र संख्या एक्स-11/14/03/2017-यो. एवं वि., दिनांक 14.10.2019 का संदर्भ लें जिसके द्वारा विजन-2022 के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए जिलावार चरणबद्ध कार्यक्रम सूचित किया गया। वर्ष 2019-20 के लक्ष्य राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण पूरे नहीं किए जा सके। अब 2020-21 के लिए अधिसूचना के लक्ष्य में वर्ष 2019-20 के दौरान अधिसूचित नहीं किए गए लंबित जिलों को सम्मिलित कर एक नया समेकित लक्ष्य संलग्न किया गया है।

कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति यह है कि 387 जिले पूर्णतः अधिसूचित हो चुके हैं और 188 जिलों में योजना को जिला मुख्यालय क्षेत्र अथवा प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में अधिसूचित किया जा चुका है। योजना को 161 जिलों में अधिसूचित नहीं किया गया है।

यह भी सूचित किया जाता है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता (वर्ष 2020 का अधिनियम 36) को अधिसूचित किया जा चुका है। कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि भी शीघ्र अधिसूचित की जानी अपेक्षित है। संहिता में सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र के आठ अन्य केंद्रीय विधानों सहित क. रा. बी. अधिनियम 1948 भी सम्मिलित है। अधिसूचित होने पर, देश के संपूर्ण क्षेत्र को क. रा. बी. योजना के उद्देश्य के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। अतः इस वित्तीय वर्ष के भीतर सभी क्षेत्रों में स्वयं चिकित्सा व्यवस्था करना अनिवार्य है।

वर्ष 2020-21 हेतु योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला-वार लक्ष्य संलग्नक-A में इस निवेदन के साथ संलग्न है कि संलग्नक में दर्शाए जिलों में योजना के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कदम उठाए जाएं।

नए क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन के मामले में आरंभ के 3 वर्ष की अवधि के लिए चिकित्सा देखरेख का पूरा व्यय क. रा. बी. निगम वहन करता है। वर्ष 2017-18 से प्रतिवर्ष प्रति बीमाकृत व्यक्ति पारिवारिक इकाई पर चिकित्सा व्यय की उच्चतम सीमा भी 2150 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिवर्ष प्रति बीमाकृत व्यक्ति कर दी गई है। सरकार ने देय क. रा. बी. अंशदान दर को मजदूरी के 6.5 प्रतिशत से घटाकर मजदूरी का 4 प्रतिशत करने का भी निर्णय किया है जो कि दिनांक 01.07.2019 से प्रभावी हो चुका है।

उपर्युक्त को देखते हुए, राज्य सरकार से अनुरोध है कि लक्ष्य तिथि से पहले बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा देखरेख की आपूर्ति हेतु जिलों में आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था पूरी करने के लिए कदम उठाए ताकि समय-सीमा के अनुसार योजना के कार्यान्वयन हेतु समय पर अधिसूचना जारी करने के लिए क. रा. बी. निगम आगे की कार्रवाई कर सके।

अनुलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

(एस. रविचंद्रन)
अपर आयुक्त (यो. एवं वि.)

प्रतिलिपि अग्रेषित :-

1. सभी निदेशक चिकित्सा सेवाएं/प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी .....
2. क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी.निगम ..... को चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार के साथ मामले को आगे बढ़ाने हेतु। मुख्यालय से कार्यान्वयन प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए संबंधित सचिव/निदेशक(चिकित्सा) के साथ मामले की चर्चा की जाए। निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार राज्य सरकार और स्वयं क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा हितलाभ व्यवस्था योजना, प्राक्कलनों आदि की निगरानी क्षेत्रीय निदेशक द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर की जाए और उच्चतम स्तर पर इसकी चर्चा हो ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। चरणबद्ध कार्यक्रम और लक्ष्यों की प्राप्ति के बारे में क्षेत्रीय बोर्ड और एस.इ.सी. की बैठकों में चर्चा की जाए। यह उप क्षेत्रीय कार्यालयों/प्रभागीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों के लिए है। क्षेत्रीय निदेशक संबंधित प्रभारी के माध्यम से नए क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था और शाखा कार्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करें। औषधालय-सह-शाखा कार्यालय को भी विभिन्न जिलों के लिए मंजूर किया गया है जिसे सीधे क.रा.बी.निगम द्वारा संचालित किया जाएगा। औषधालय-सह-शाखा कार्यालय खोलने को कार्यान्वयन के चरणबद्ध कार्यक्रम से जोड़ दिया जाए, विशेषकर उन राज्यों के संबंध में जहां चिकित्सा व्यवस्था के लिए क.रा.बी.निगम को अनापत्ति प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा दिया गया है।
3. बीमांकन शाखा/वित्त एवं लेखा शाखा/ चिकित्सा-I/चिकित्सा-II को सूचनार्थ।
4. उप निदेशक (जनसंपर्क), क.रा.बी.निगम, मुख्यालय को इसे मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

23/7/19

उप निदेशक (यो. एवं वि.)